rojgar with ankit

Polity

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय

Part (भाग) - V
Art - 124 - 147

→ स्थापना → 26 Jan. 1950
→ उद्घाटन → 28 Jan. 1950

भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना
Establishmen of first Supreme Court of India
↳ 1774, कलकत्ता → मुख्य न्यायाधीश
↳ एलिजा इम्पे

भारत का प्रथम संघीय न्यायालय — 1 Oct. 1937 — दिल्ली
first federal Court of India

मुख्य न्यायाधीश
↳ मौरिस ग्वेयर

→ स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश → हीरालाल जे० कानिया
first Chief justice of Independent India

→ In Present (वर्तमान) ⇒ डी० वाई० चन्द्रचूड

→ भारत मे कोई महिला मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में बनी है ? ⇒ नहीं

⇒ उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश (first female judge of S-Court)
↳ फातिमा बीवी

⇒ लीला सेठ → उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश।

⇒ Art. 124 (1) → सर्वोच्च न्यायालय का गठन (Composition of S. Court)

→ मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश ⇒ मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या
Chief justice + other judges

⇒ वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या
⇒ 33, कुल न्यायाधीश (1+33 → 34)

No. of judges in original Constitution
↓
7 ⇒ total judges (1+7 ⇒ 8)
कुल न्यायाधीश

⇒ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) में वृद्धि ⇒ संसद द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान [Seat of Supreme Court]

सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, किन्तु वह अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है (अनु० 130)।

The Supreme Court is situated in Delhi but it can hear cases at any other place if the chief Justice, with the approval of the president, appoints such a place for hearing (Article 130).

Ex. ⇒ दी नगर
→ हैदराबाद

न्यायाधीशों की योग्यताएं [Qualifications of Judges]

अनु. 124 (3)

(i) वह भारत का नागरिक हो तथा

(ii) वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम-से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप मे कार्य कर चुका हो। अथवा कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो. अथवा

राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता (Distin-guished Jurist) हो।

Ex. Ujnan → S-Court-judge
↳ कम से कम 5 वर्ष → H. Court → judge
" " " 10 वर्ष → " " Advocty

पारंगत विधिवेत्ता
↳ Good Knowledge of law's

* मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
Appointment of chief justice & other judges ⇒ Art. 124 (2)

→ मुख्य न्यायाधीश → नियुक्ति → राष्ट्रपति
↳ आधार (Ground) ⇒ वरिष्ठता (Seniority)

→ अन्य न्यायाधीश → नियुक्ति → राष्ट्रपति (लेकिन मुख्य न्यायाधीश
Other judges
(S-Court) से परामर्श के बाद
Consult
⇓
मुख्य न्यायाधीश अपना परामर्श
राष्ट्रपति को देने से पहले S-Court
के 4 परिष्ठतम (most senior) न्यायाधीशों
से परामर्श करता है

S. Court
⇓
Consult (परामर्श)
↳ written लिखित

99 CA संविधान संशोधन — 2014
⇓
कॉलेजियम व्यवस्था → समाप्त
↳ इसकी जगह न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
NJAC → National judicial Appointment Commission
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी →
S-Court ने इसने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति Collegium System से ही होगा।

* कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
[Appointment of acting chief Justice]

अनु. 126 — जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण

rojgar with ankit

कारण से, अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो; तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है

Article 126 - When the post of Chief justice is vacant or the chief justice is unable to perform his duties due to absence or any other reason; the President may appoint any one of the other judges as Acting Chief Justice.

* तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
Appointment of Adhoc judges ⇒ Art. 127